रजिस्ट्री सं० डी०(डीएन)—128/88 REGISTERED NO. D—(DN)—128/88

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12, 1988 (कार्तिक 21, 1910)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12, 1988 (KARTIKA 21, 1910)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	777
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1349
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1627
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—भाग 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं।) . . .	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
भाग II—खण्ड 3—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	1177
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	1197
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2289
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	187
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	—

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

321 GI/88

CONTENTS

	PAGE
PART I SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	777
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1349
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1627
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (I)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 1 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1177
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1197
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2289
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	187
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	

*Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1988

सं० 96-प्रेजा 88—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ओम प्रकाश
उप-निरीक्षक सं० 511520121
65वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

11 जून, 1987 को सायं, लगभग 2020 बजे बटालियन के मुख्यालय में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आतंकवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 65वीं बटालियन के एक गश्ती दल पर मोगा-बाधापुराना बाईपास पर घात लगाई और आतंकवादी मिरोह एक ट्रक में जी० टी० रोड़ पर लुधियाना की ओर भाग गया । यह सूचना 65वीं बटालियन की सभी बाह्य चौकियों को वायरलैस द्वारा तुरन्त भेज दी गई । सभी कम्पनियों तथा पलादून चौकियों को ट्रक द्वारा भाग रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूर्णत: सतर्क कर दिया गया ।

उप-निरीक्षक ओम प्रकाश, जो सात जवानों के बल सहित गश्त ड्यूटी पर थे, ने सूचना प्राप्त होने पर अजीतवाल में नाका बन्दी की । रात को 9 बजे आतंकवादियों का ट्रक वहां पहुंचा । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाका बल को देखकर, ट्रक के चालक ने नाका बल को लांघने का प्रयास किया परन्तु जब वह ऐसा नहीं कर सका तो उसने इसे सड़क पर रोक दिया । उप-निरीक्षक ओम प्रकाश अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए तुरन्त ट्रक के पास गए और चालक को पकड़ लिया और तलाशी के दौरान उन्हें चालक सीट के पीछे विशेष रूप से बनाए गए गुप्त भागों से सात ए० के०-47 चीनी स्वचालित राइफलें, 15 मैगजीनें और गोलाबारूद के 1170 सक्रिय राऊंड बरामद हुए ।

चालक समेत ट्रक और हथियार व गोलाबारूद पकड़ने के बाद यह समझा गया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल पर घात लगाने वाले आतंकवादी अभी भागे नहीं हैं और इसलिए दिन-रात कड़ी गश्त लगाई जाती रही । 13 जून, 1987 को रात के लगभग 1.30 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पुलिस के संयुक्त दल जिसमें उप-निरीक्षक ओम प्रकाश भी थे, ने स्कूटर पर सवार तीन आतंकवादियों को रोका । पुलिस दल ने आतंकवादियों को रूकने का संकेत किया परन्तु उन्होंने गोली चला दी और पुलिस दल ने भी आत्मरक्षा के लिए जवाब में गोली चलायी । उप-निरीक्षक ओम प्रकाश ने गश्ती दल को शीघ्रता से अपने साथ लिया और आतंकवादियों के मोर्चे की तरफ बढ़े । उनके द्वारा आतंकवादियों पर लगाए गए निशाने लक्ष्य पर ठीक लगे । इस संक्षिप्त मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए । मृत आतंकवादियों से एक स्कूटर, एक ए० के०-47 राईफल समेत 30 सक्रिय राऊंड और एक डबल बैरल शाट गन बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में श्री ओम प्रकाश, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य शौर्य, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 जून, 1987 से दिया जाएगा ।

सं० 97-प्रेजा-88—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री सुदीप राय
पुलिस उप-निरीक्षक
पुलिस स्टेशन अंदल,
जिला बर्दवान,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

4 फरवरी, 1986 को सायं लगभग 7.00 बजे यह सूचना मिलने पर कि अन्दल-उखरा मार्ग के साथ सुनसान हवाई पट्टी में 9-10 डाकू (सार्वजनिक वाहनों के यात्रियों से) लूटपाट करने के उद्देश्य से एकत्र हुए हैं, पुलिस उप-निरीक्षक श्री सुदीप राय, दो उप-निरीक्षकों, एक सहायक उप-निरीक्षक तथा दो कान्स्टेबलों को लेकर एकत्र होने के स्थान के लिए रवाना हुए । हवाई पट्टी की तरफ जाते हुए (उप-निरीक्षक)

श्री सुदीप राय ने रास्ते में मण्डी दल तथा जनता को डाकुओं के प्रति सचेत किया। हुवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद जीप को पर्याप्त दूरी पर छोड़ कर श्री सुदीप राय ने डाकुओं को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की तथा सावधानीपूर्वक योजना तैयार की। तब वे अपने दल के साथ झाड़ियों में से होकर पट्टी की ओर बढ़े। अचानक पुलिस दल पर अपराधियों द्वारा बमों तथा उनके काम चलाऊ हथियारों से गोलियां चलाई गई। पुलिस कर्मियों ने तुरन्त भूमि पर लेट कर जवाब में गोली चलाई। श्री सुदीप राय, एक उप-निरीक्षक तथा एक कान्टेबल बम से जख्मी हो गए। अधिकारियों ने अपने हथियारों से गोलीबारी जारी रखी तथा उनकी दृढ़ निश्चियी कार्यवाही से बदमाशों को पीछे हटना पड़ा और वे भाग खड़े हुए। पुलिस दल ने उनका पीछा किया परन्तु बदमाश अंधेरे का लाभ उठाते हुए बच कर भाग निकले। छानबीन करने पर पुलिस दल ने चार व्यक्तियों को जमीन पर घायल तथा बेहोश अवस्था में पाया। घायल बदमाशों से पाईप की तीन काम चलाऊ बन्दूकें, कुछ अप्रयुक्त बम तथा अप्रयुक्त गोला-बारूद बरामद किया गया। घायल डाकुओं तथा घायल पुलिस कर्मियों को दुर्गापुर के सब-डिवीजन अस्पताल में ले जाया गया जहां चार घायल डाकुओं को मृत घोषित कर दिया गया तथा घायल पुलिस कर्मियों का उपचार किया गया। इस घटना की दुर्गापुर के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जांच की तथा पुलिस द्वारा किए गए काम को न्यायोचित पाया गया।

इस मुठभेड़ में श्री सुदीप राय, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 6 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 फरवरी, 1986 से दिया जाएगा।

सं० 98-प्रेजी 8—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पारस मणि दास
पुलिस अधीक्षक
कपूरथला

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

थाना सुलतान पुर लोधी के माण्ड क्षेत्र में कुछ कट्टर उग्रवादियों/आतंकवादियों के इकट्ठा होने के बारे में 12 सितम्बर, 1987 को सूचना प्राप्त होने के बाद, श्री पारस मणि दास, पुलिस अधीक्षक, कपूरथला, बल के अन्य सदस्यों के साथ उग्रवादियों को पकड़ने के लिए रवाना हुए। पुलिस दल ने अपने वाहन गांव अली कलां के निकट छोड़ दिए और (पुलिस अधीक्षक) श्री दास ने बल को तीन समूहों में तैनात किया। एक समूह का नेतृत्व श्री इकबाल सिंह पन्नू, पुलिस अधीक्षक/अपरेशन, कपूरथला ने किया, दूसरे की कमांड श्री कुलतार सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक के पास थी और तीसरे का पर्यवेक्षण उन्होंने स्वयं किया। जलमग्न तराई के दलदल में से लगभग 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पुलिस दल गुड्डे थैह पहुंचा जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। पुलिस दल को देखकर आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। आतंकवादियों द्वारा की गई भारी गोलाबारी के बावजूद, श्री पारस मणि दास के नेतृत्व वाला दल आतंकवादियों के 50 गज नजदीक पहुंच गया। चूंकि वे दल के आगे थे, इसलिए उनको .315 बोर की एक गोली लगी और उनकी पसलियों को तोड़ कर तथा फेफड़े को घायल करके छाती में से निकल गई। अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था परन्तु अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने जवानों को हमला करते रहने और आतंकवादियों को पकड़ने का आदेश दिया। इसी दौरान, आतंकवादी अंधेरे में माण्ड की सघन झाड़ी-घास में भाग गए। गिरोह का नेतृत्व चोटी का खुंखार आतंकवादी जसवीन्दर सिंह उर्फ सतविन्दर सिंह उर्फ पप्पू कर रहा था। श्री दास को राइफलों से तैयार किए गए बनावटी स्ट्रेचर पर लगभग 5 किलो मीटर की दूरी पैदल तय करते हुए सिविल अस्पताल, सुलतान पुर लोधी लाया गया और प्राथमिक चिकित्सा की गई। तत्पश्चात् रात को लगभग 11.30 बजे सी० एम० सी० लुधियाना में स्थानांतरित किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री पारस मणि दास, पुलिस अधीक्षक, ने अदम्य शौर्य, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 सितम्बर, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 99-प्रेजी/88—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पूरन चन्द शर्मा
पुलिस उप-अधीक्षक
25वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

18 फरवरी, 1987 को सूचना प्राप्त हुई कि अमृतसर के सुलतानविंड क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों के आने की संभावना है। पुलिस उप-अधीक्षक श्री पूरन चन्द शर्मा को उस क्षेत्र में निगरानी रखने तथा आतंकवादियों का पता लगा कर उनको पकड़ने का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने अपने जवानों को उचित ढंग से तैनात किया तथा संभावित घात से बचाव के लिए एहतियाती उपाय किए।

प्रातः लगभग 10 बजे जब वे एक गैर-सरकारी कार, जो कि उन्हें विशेष कार्य करने के लिए दी गई थी, में सिविल ड्रैस में जा रहे थे तो उन्होंने चार संदिग्ध व्यक्तियों को दो मोटर साईकिलों पर सवार देखा। वे उनके पास गए और उन्हें रोकने का प्रयास किया परन्तु वे भाग गए। श्री शर्मा जिनके साथ उस समय तीन जवान थे, ने उन संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया तथा बचकर भागने के रास्तों पर तैनात दलों से सम्पर्क भी बनाए रखा। भीड़-भरे क्षेत्र तथा टेढ़ी-मेढ़ी गलियों के कारण वे उनमें से एक मोटर साईकिल का पीछा न कर सके परन्तु दूसरी मोटर साईकल का पीछा करते रहे। इस स्थिति में संदिग्ध व्यक्तियों ने अपनी मोटर साईकिल छोड़कर भागना शुरू कर दिया। श्री शर्मा ने अपने जवानों के साथ कार से नीचे उतर कर अपराधियों का तेजी से पीछा किया। वे प्रत्येक गली में उनका पीछा करते रहे और अन्ततः उन पर काबू पा लिया। उन दोनों आतंकवादियों की बाद में शिनाख्त करने पर मालूम हुआ कि वे स्वर्ण सिंह खालसा तथा जगदीश सिंह मल्ली, थे जो अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के क्रमशः महा-सचिव तथा उपाध्यक्ष थे और उनको पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की हुई थी।

इस घटना में श्री पूरन चन्द शर्मा, पुलिस उप-अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 फरवरी, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 100-प्रेजा-88—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

1. श्री हरि सिंह यादव
   पुलिस उप-अधीक्षक,
   जिला मुरेना
2. श्री रमाकान्त बाजपेयी
   पुलिस उप-निरीक्षक
   जिला मुरेना

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5-6 मार्च 1987 के बीच की रात को पुलिस अधीक्षक मुरेना को सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात डकैत रघुराज सिंह सिकरवार और उसके साथी, थाना पहाड़गढ़ के अन्तर्गत मारकपुरा के जंगल में उपस्थित हैं। डकैतों के गिरोह द्वारा गांव धरे में सनसनीखेज डकैती डाले जाने की संभावना थी। यह सूचना उप महानिरीक्षक, चम्बल रेंज को तत्काल भेजी गयी और उपलब्ध समस्त बल को एकत्रित किया गया तथा इसके तीन दल बनाए गए और बचकर भागने के सभी संभावित रास्तों पर घात लगाई गई। प्रथम दल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक ने किया जिनके साथ श्री हरि सिंह यादव, पुलिस उप अधीक्षक और अन्य कार्मिक थे। श्री रमाकान्त बाजपेयी, मुरेना के उप महानिरीक्षक के साथ दूसरे दल में थे। तीसरे दल को अलग रखा गया, जिसमें 12 पुलिस कार्मिक थे और जिन्हें यह निर्देश दिये गए थे कि यदि गिरोह भागने की कोशिश करे तो उसको रोका जाय।

6 मार्च, 1987 को प्रातः लगभग 6 बजे डकैतों के गिरोह का सामना पुलिस अधीक्षक मुरेना के नेतृत्व वाले दल से हुआ जिन्होंने डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। लेकिन डकैतों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दल ने भी आत्म-रक्षा में जबाबी गोलाबारी की और डकैतों की तरफ बढ़ते रहे जिन्होंने एक भारी वृक्ष की आड़ में सुदृढ़ रक्षात्मक मोर्चाबंदी कर ली थी। जब पुलिस अधीक्षक मुरेना पर डकैतों ने भारी गोलीबारी की तो हरि सिंह यादव ने रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया ताकि वे डकैतों के गिरोह के नजदीक जा सकें। उन्होंने सिकरवार का ध्यान बांटने के लिए गोली भी चलायी। इसके परिणामस्वरूप डकैत सिकरवार ने अपना निशाना श्री यादव की तरफ किया लेकिन श्री यादव डकैतों की तरफ बढ़ते रहे। इसी बीच पुलिस अधीक्षक मुरेना भी रेंगते हुए डकैत सिकरवार के मोर्चे के नजदीक आ गए और उस पर गोली चलाई। डकैत सिकरवार ने बचकर भागने की कोशिश की लेकिन श्री यादव ने उस पर गोली चलायी और परिणामस्वरूप वह घटनास्थल पर ही मारा गया।

पुलिस अधीक्षक मुरेना और श्री यादव गिरोह के नेता के साथ भीषण लड़ाई लड़ रहे थे तो उप-निरीक्षक बाजपेयी ने देखा कि अन्य दो डाकुओं ने भी उससे लगभग 39 गज की दूरी पर झाड़ियों में रक्षात्मक मोर्चाबंदी की है। पुलिस अधीक्षक, मुरेना और श्री यादव के जीवन को हुए उत्पन्न खतरे को भांप कर श्री बाजपेयी ने डकैतों की तरफ भारी गोलाबारी की और इस प्रकार डकैतों को प्रथम पुलिस दल पर गोलीबारी करने से रोका गया।

एक डकैत जिसके पास .12 बोर डी० बी० बी० एल० बन्दूक थी ने श्री बाजपेयी पर गोली चलायी। गोलीबारी से विचलित हुए बगैर श्री बाजपेयी अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए एक छलांग लगाकर आगे बढ़े और दूसरा मोर्चा संभाला। वे रेंगकर आगे बढ़े और डकैतों के नजदीक पहुंचे। थोड़ी दूरी से उन्होंने डकैत कमल सिंह पर आक्रमण किया और उसे घटना स्थल पर ही मार डाला। मुठभेड़ में सभी तीन डकैत अर्थात् रघुराज सिंह सिकरवार, कमल सिंह और गुड्डू उर्फ केदार मारे गए।

इस मुठभेड़ में श्री हरि सिंह यादव, पुलिस उप अधीक्षक और श्री रमाकान्त बाजपेयी, पुलिस-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मार्च, 1987 से दिया जाएगा।

सु० नीलकंठन, निदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्तूबर 1988

संकल्प

सं० 1-33/85-एल० डी० टी०—इस मंत्रालय के दिनांक 21-7-1986 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए अश्व विकास बोर्ड को निम्न प्रकार से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है।

(क) अध्यक्ष — कृषि मंत्री

(ख) उपाध्यक्ष — कृषि राज्य मंत्री

(ग) सदस्य

1. सचिव (कृषि और सहकारिता)।
2. अपर सचिव (जी०)।
3. पशुपालन आयुक्त।
4. उप-महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्।
5. अपर महानिदेशक, रिमाउन्ट एंड वेटेरिनरी कोर्प्स, रक्षा मंत्रालय।
6. निदेशक, पशुपालन, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
7. निदेशक, पशुपालन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक पशुपालन, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
9. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अश्व प्रजनन सोसायटी, पुणे।
10. रायल वेस्टर्न इण्डिया टर्फ क्लब लिमिटेड, बम्बई के प्रतिनिधि।
11. रायल कलकत्ता टर्फ क्लब के प्रतिनिधि।
    प्रख्यात पालक (ब्रीडर्स)
12. श्री दिग्विजय सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) गुजरात।
13. कर्नल भीम सिंह, विक्रम ग्रीनलैण्ड्स स्टड फार्म तोहाना, जिला हिसार।
14. श्री श्रीकान्त दत्ता नरसिम्हाराजा वाडियार, संसद सदस्य, रिजेन्सी स्टड, मैसूर।
15. कुवर राम कृष्ण सिंह, बोमोबा स्टड एंड एग्रीकल्चर फार्म, डाकखाना:—पिशावा, जिला—अलीगढ़।
16. डा० एफ० एफ० वाडिया, येरावडा स्टड एंड एग्रीकल्चर फार्म, पुणे।
17. श्री जगदीश खोसानी, डी—435, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली।
18. हाजी अब्दुल सत्तार सेठ, वि ताज स्टड एंड कल्चर फार्म, येलाहन्का, बंगलौर नार्थ।
19. संयुक्त आयुक्त (एल० पी०)—संदस्य सचिव कृषि और सहकारिता विभाग।

क्रम संख्या 6, 7 और 8 पर दर्शाए गए सरकारी सदस्य तथा क्रम संख्या 12 से 18 पर दर्शाए गए गैर-सरकारी सदस्यों को इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में सेवा करने के लिए नामजद किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय और प्रधानमंत्री के कार्यालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० बी० गिरि, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर, 1988

संकल्प

विषय:—केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में सलाहकार समिति का गठन।

सं० एफ० 8-6/88—4-(भाषा)—केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को उसके कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाने में सलाह देने और सहायता करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करने के संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 15 फरवरी, 1985 के संकल्प संख्या एफ 8-14/85 डी-4 (एल०) का आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार समिति की संरचना और इसके कार्यकाल में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संरचना

1. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री — अध्यक्ष
2. डा० कुमार विमल, कुलपति, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना। — सदस्य
3. प्रोफेसर आर० आर० येहरोला, सम-कुलपति, उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, आइजोल (मिजोरम। — सदस्य
4. प्रोफेसर गंधम अप्पा राव, एम० ए० पी० एच० डी०, 1-9-292/2 विद्यानगर, हैदराबाद-500044। — सदस्य

5. श्री एस० बी० भुजंग राव, — सदस्य
गांव कालू गोलमा पेठ, कावली
नैलोर जिला, आन्ध्र प्रदेश।

6. श्री विद्या निवास मिश्र, — सदस्य
कुलपति,
काशी विद्यापीठ, विश्वविद्यालय।

7. प्रोफेसर वेंकटेश्वर राव, — सदस्य
भाषा विज्ञान के विभागाध्यक्ष,
दक्कन कालेज, पुणे।

8. प्रोफेसर प्रबोध चन्द्र नायर, — सदस्य
भाषा विज्ञान के विभागाध्यक्ष,
केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम।

9. प्रोफेसर पी० सरकार, — सदस्य
बंगला विभाग,
जादव पुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

10. प्रोफेसर कमर रईस, — सदस्य
उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

11. संयुक्त सचिव, — सरकारी सदस्य
भाषा ब्यूरो,
शिक्षा विभाग

12. संयुक्त सचिव (जनजातीय कल्याण — —वही—
कल्याण मंत्रालय।

13. सलाहकार (शिक्षा) — —वही—
योजना आयोग

14. वित्त सलाहकार, — —वही—
शिक्षा विभाग

15. निदेशक, — —वही—
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान।

16. प्रोफेसर जे० एम० मोहन्ती, — —वही—
अंग्रेजी विभाग,
उत्कल विश्वविद्यालय,
वाणी विहार,
भुवनेश्वर।

17. निदेशक, — —वही—
तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड,
शिक्षा विभाग

18. निदेशक, — संयोजक
केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान,
मैसूर।

कार्य-काल:

1. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष का होगा।

2. समिति के सरकारी सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद को धारण करते हैं जिस पद के आधार पर वे समिति के सदस्य हैं।

3. यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र अथवा मृत्यु के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस पद पर नियुक्त व्यक्ति 3 वर्ष के कार्य काल के शेष समय तक पद धारण करेगा।

विचारार्थ विषय:

(1) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान को इसके कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाने में सलाह देना।

(2) भाषाओं के शिक्षण, भाषा विज्ञान संबंधी अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि से संबंधित मामलों में भारतीय भाषा संस्थान को सलाह देना।

(3) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा तैयार किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा करना।

(4) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना।

(5) भारत और विदेशों में प्रशिक्षण और वृत्तिका प्रोन्नति सहित संकाय सुधार के लिए उपायों की अनुशंसा करना।

(6) जनजातीय और सीमान्त भाषाओं की प्रोन्नति और विकास से संबंधित मामलों में केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान को सलाह देना।

(7) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा शुरू की गई चालू परियोजनाओं की समीक्षा करना।

बैठक:

समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। तथापि, अध्यक्ष जब आवश्यक समझें तो किसी भी समय बैठकें बुला सकते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानस-गंगोत्री, मैसूर सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, नई दिल्ली, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए। इसकी मुद्रित प्रतिलिपि इस मंत्रालय को भेजी जाए।

पी० के० मल्होत्रा,
सहायक शिक्षा सलाहकार

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 31st October 1988

No. 96-Pres/88.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Om Prakash,
Sub-Inspector No. 511520121,
65 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th June, 1987, at about 2020 hours, information was received at Battalion Headquarters that some terrorists had ambushed one of the patrolling parties of 65 Battalion, Central Reserve Police Force on the Moga-Bhaghapurana by-pass and the terrorist gang had fled away in a truck towards Ludhiana side on G.T. Road. Immediately the information was relayed through wireless to all the out-posts of 65 Battalion. All the Companies and Platoon posts were put on red alert to apprehend the terrorists moving by truck.

On receiving the information, Sub-Inspector Om Prakash, who was on patrolling duty with a party of seven men, put a naka at Ajitwal. At 2100 hours the truck carrying the terrorists reached there. On seeing the Central Reserve Police Force naka party, the driver of the truck tried to jump the naka party but when he could not do so, he stopped it on the road. Sub-Inspector Om Prakash, without caring for his personal safety, rushed towards the truck and apprehended the driver. The party took hold of the truck and during the search they recovered seven AK-47 Chinese automatic rifles, 15 Magazines and 1170 live rounds of ammunition from the specially designed hidden compartments on the rear of the driver seat.

After capturing the truck alongwith driver and arms and ammunition, it was presumed that the terrorists, who ambushed the Central Reserve Police Force party had not yet escaped and, therefore, intensive patrolling continued throughout the and night. On 13th June, 1987 at about 0130 hours, three scooter borne terrorists were intercepted by a joint Central Reserve Police Force/Police party including Sub-Inspector Om Prakash. The police party signalled the terrorists to stop but they opened fire and the police party also returned the fire in self defence. Sub-Inspector Om Prakash took the patrol party swiftly and stalked towards the terrorist's position. His shots aimed at the terrorists hit the targets accurately. In this brief encounter, all the three terrorists were killed. One Scooter, one AK-47 rifle alongwith 30 live rounds and one double barrel shot gun were recovered from the dead terrorists.

In this encounter, Shri Om Prakash, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11th June, 1987.

No. 97-Pres/88.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and rank of the officer

Shri Sudip Roy,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Andal,
District Burdwan,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On getting information on the 4th February, 1986, at about 7.00 p.m., that 9-10 dacoits had assembled in an abandoned air-field by the side of Andal-Ukhra Road with a view to commit a dacoity (from the passengers of public vehicles), Shri Sudip Roy, Sub-Inspector of Police, alongwith two Sub-Inspectors, one Assistant Sub-Inspector and two constables left for the place of assemblage. While processing towards the air field, Shri Sudip Roy alerted the patrol party and public on the way against the dacoits. On arrival at the air-field Shri Sudip Roy carefully planned his action for arresting the dacoits after leaving the jeep at a considerable distance. Then, he alongwith his party, marched towards the field through bushes. All of a sudden the police party was fired upon with bombs and bullets fired by the criminals from their improvised weapons. The policemen immediately lie down on the ground and returned the fire. Shri Sudip Roy and one Assistant Sub-Inspector and a Constable received bomb injuries. The officers continued to fire from their weapons and their determined action could ensure the retreat of the miscreants who ran away. They were chased by the police party but the miscreants managed to escape under the cover of darkness. On search, Police party found four persons lying injured and unconscious on the ground. Three improvised pipe guns, some live bombs and live ammunition were recovered from the injured miscreants. The injured dacoits and the injured policemen were immediately removed to Sub-Divisional Hospital, Durgapur, where the four injured dacoits were declared dead and the police personnel were treated upon. The incident was enquired into by the Executive Magistrate, Durgapur, and the action taken by the Police was justified.

In this encounter, Shri Sudip Roy, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4th February, 1986.

No. 98-Pres/88.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Paras Moni Das,
Superintendent of Police,
Kapurthala.

Statement of services for which decoration has been awarded

On the 12th September, 1987, after receiving information regarding the assemblage of some hard-core extremists/terrorists in the Mand area of Police Station Sultanpur Lodhi, Shri Paras Mani Das, Superintendent of Police, Kapurthala, alongwith other members of the force, set out to nab the extremists. The Police Party left their vehicles near Alli Kalan, and Shri Das deployed the force in three groups—one headed by Shri Iqbal Singh Pannu, Superintendent of Police/Operations, Kapurthala, the second under the command of Shri Kultar Singh, Deputy Superintendent of Police, and the third under his own supervision. After covering about 5 Kms. on foot through marshy terrain flooded with water, the Police party reached Gudde Theh where the terrorists were hiding. On seeing the Police party, the terrorists opened fire on them. In spite of heavy firing from terrorists, the party led by Shri Paras Moni Das reached within 50 yards from the terrorists. Since he was ahead of the party, a .315 bullet hit him and crossed through his chest fracturing his ribs and injuring the lung. He was bleeding profusely, but without caring for his life he directed his men to carry on the assault and apprehend the terrorists. In the meantime, the terrorists fled under the cover of darkness in thick elephanta grass of Mand. The gang was led by top dreaded terrorist Jaswinder Singh alias Satwinder Singh alias Pannu. Shri Das was brought back on foot covering a distance of 5 Kms. On artificial strechen prepared with rifles to Civil Hospital, Sultanpur Lodhi and was given first-aid and thereafter at about 11.30 p.m. he was shifted to C.M.C. Ludhiana.

In this incident, Shri Paras Moni Das, Superintendent of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12th September, 1987.

No. 99-Pres/88.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Puran Chand Sharma,
Deputy Superintendent of Police
25th Battalion,
Central Reserve Police Force,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 18th February, 1987, information was received that some terrorists were expected to visit Sultanwind area of Amritsar. Shri Puran Chand Sharma, Deputy Superintendent of Police was assigned to watch that area and nab those terrorists after locating them. He deployed his men appropriately and took precautions to guard against possible ambush.

At about 10.00 A.M. when he was moving in civil dress in a private car which was given to him for the specific assignment, he noticed four suspected persons on two motor bikes. He approached them and tried to stop them, put they sped away. Shri Sharma, who had 3 men with him at that time, chased the suspects and also maintained contact with the parties deploed on the escape routes. Due to crowded locality and cris-cross by-lanes, he could not keep track of one motor-bike but continued to chase the other one. At one stage, the suspects left their motor bike and started running. Shri Sharma alongwith his men got down from the care and gave a hot chase to the culprits. They followed them lane by lane and finally over-powered them. The two terrorists were later identified as Swarn Singh and Jagdish Singh Malli, General Secretary and Vice-President of All India Sikh Students' Federation respectively, who were carrying rewards on their heads.

In this incident, Shri Puran Chand Sharma, Deputy Superintendent of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18th February, 1987.

No. 100-Pers/88.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Hari Singh, Yadav,
Deputy Superintendent of Police,
District Morena.

Shri Ramakant Bajpai,
Sub-Inspector of Police,
District Morena.

Statement of services for which decoration has been awarded

On the intervening night of 5-6th March, 1987 information was received by Superintendent of Police, Morena regarding the presence of notorious dacoit Raghuraj Singh Sikarwar and his associates in the forest of Bharkapura, Police Station Pahargarh. The dacoit gang was likely to commit a sensational dacoity in the village Ther. The information was immediately communicated to Deputy Inspector General of Police Chambal Range and all the available force was collected and divided into three parties and the ambush was laid on all the possible escape routes. The first party was led by Superintendent of Police alongwith Shri Hari Singh Yadav, Deputy Superintendent of Police and others. Shri Ramakant Bajpai was in the second party alongwith Deputy Inspector General, Morena. The third party was a cut off party consisting of 12 police personnel with instructions to intercept the gang if they tried to escape.

On the 6th March, 1987, at about 0600 hours, the dacoit gang came in contact with the party led by Superintendent of Police, Morena, who challenged the dacoits to surrender. But the dacoits started indiscriminate firing on the police party. The police party also returned the fire in self defence and kept advancing towards the dacoits, who had taken a formidable defence position under the cover of a thick tree. When Superintendent of Police, Morena came under heavy fire from the dacoits, Shri Hari Singh Yadav started crawling forward so as to get close to the dacoit gang. He also opened fire in order to divert the attention of dacoit Sikarwar. As a result of this, dacoit Sikarwar directed his fire towards Shri Yadav but Shri Yadav continued advancing towards the dacoit. In the meantime, Superintendent of Police, Morena also crawled to a position close to the dacoit Sikarwar and fired at him. Dacoit Sikarwar tried to escape, but Shri Yadav shot at him and as a result the dacoit was killed on the spot.

While the Superintendent of Police, Morena and Shri Yadav were fighting a pitch battle against the gang-leader, Sub-Inspector Bajpai noticed that the other two dacoits had also taken defensive positions in bushes, about 30 yards away from him. Realising danger to the life of Superintendent of Police, Morena and Shri Yadav, Shri Bajpai started giving a heavy covering fire towards the dacoits thus prevented them from firing towards the first police party.

One of the dacoits, who was with a .12 bore DBBL gun, fired at Shri Bajpai. Undeterred by the firing, Shri Bajpai without caring for his personal safety leaped forward in one jump and took an alternative position. He crawled forward and reached near the dacoits. From the close range he attacked dacoit Kamal Singh and killed him on the spot. In the encounter, in all three dacoits were killed viz. Raghuraj Singh Sikarwar, Kamal Singh and Guddu alias Kedar.

In this encounter, Shri Hari Singh Yadav, Deputy Superintendent of Police and Shri Ramakant Bajpai, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 6th March, 1987.

S. NILAKANTAN, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPTT. OF AGRI. COOP.)

New Delhi, the 5th October 1988

RESOLUTION

No. 1-33/85-LDT.—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated 21-7-86, it has been decided to reconstitute the Equine Development Board as under.

(A) CHAIRMAN—Agriculture Minister

(B) Vice Chairman—Minister of State (Agri)

(C) *MEMBERS*

1. Secretary (A&C)
2. Additional Secretary (G)
3. Animal Husbandry Commissioner
4. Deputy Director General (Animal Sciences), ICAR.
5. Additional Director General, Remount and Veterinary Corps. Ministry of Defence.
6. Director, Animal Husbandry, Govt. of Haryana, Chandigarh.
7. Director, Animal Husbandry, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
8. Director, Animal Husbandry, Govt. of Himachal Pradesh, Shimla.
9. President, National Horse Breeding Society, Pune.
10. Representative of Royal Western India Turf Club Ltd, Bombay.
11. Representative of Royal Calcutta Turf Club.

Prominent Breeders

12. Shri Digvijay Sinh, M.P. (Lok Sabha) Gujarat.
13. Col. Bhim Singh, Vikram Greenlands Stud Farm Tohana, Distt. Hissar.
14. Shri Srikanta Datta Nrasimharaja Wadiyar, M.P., Regency Stud, Mysore.
15. Kr. Ram Krishan Singh, Daoba Stud & Agricultural Farm, P.O. Pisawa, Distt. Aligarh.
16. Dr. F. F. Wadia, Yeravada Stud & Agricultural Farm, Pune.
17. Shri Jagdish Chokhani, D-435, Defence Colony, New Delhi.
18. Hajee Abdul Sattar Sait, The Taj Stud & Agricultural Farm, Yelahanka, Bangalore-North.
19. Joint Commissioner (LP)—Member Secretary, Deptt. of Agri & Coop.

The official memebrs at S. No. 6, 7 and 8 and the non-official members at S. No. 12 to 18 have been nominated to serve on the Board for a period of two years from the date of issue of this Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/U. T.s. Departments and Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Office.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. V. GIRI, Addl. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, 12th October 1988

RESOLUTION

Subject : Advisory Committee in the Central Institute of Indian Languages, Mysore—Setting up of—

No. F.8-6/88-Div(L).—In partial modification of the Resolution No. F.8-14/85-DIV(L), dated the 15th Feb., 1985 published in the Gazette of India regarding the setting up of an Advisory Committee to advise and assist the Central Institute of Indian Languages, Mysore in formulating its programmes and projects, the Government of India hereby revise the composition and tenure of the Committee as under :

COMPOSITION

Chairman

1. Union Minister for Human Resource Development.

Members

2. Dr. Kumar Vimal,
Vice-Chancellor,
Nalanda Open University,
Patna.
3. Professor R. R. Mehrotra,
Pro-Vice-Chancellor,
North-Eastern Hill University,
Aizawl (Mizoram).
4. Prof. Gandham Appa Rao,
M.A., Ph.D.,
1-9-292/2, Vidyanagar,
Hyderabad-500044.
5. Shri S. V. Bhujanga Raya Sarma,
M A. (Lit.) Vill. Kalvgolama Peth Kavali
Nellore Distt. (A.P.).
6. Shri Vidya Nivas Mishra,
Vice-Chancellor,
Kashi Vidyapath University.
7. Professor Peri Bhaskara Rao,
Head of Deptt. of Linguistic,
Deccan College, Pune.
8. Prof. Proboth Chandra Nair,
Head of the Dep't. of Linguistic
Kerala University, Trivandrum.
9. Professor P. Sarkar,
Deptt. of Bengali, Jadavpur
University, Calcutta.
10. Professor Qamar Rais,
Head of the Deptt. of Urdu,
Delhi University, Delhi.

Official Members

11. Joint Secretary,
Language Bureau, Deptt. of Education.
12. Joint Secretary (Tribal Welfare),
Ministry of Welfare.
13. Adviser (Education),
Planning Commission.
14. Financial Adviser,
Department of Education.
15. Director,
Kendriya Hindi Sansthan, Agra.

16. Prof. J. M. Mohanty,
Deptt. of English. Utkal University
Vanivihar, Bhubneswar.

17. Director,
Bureau of Promotion for Urdu,
Department of Education.

Convener

18. Director, Central Institute of
Indian Languages, Mysore.

TENURE

1. The tenure of the non-official members of the Committee shall be 3 years from the date of appointment.

2. The Official members of the Committee shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee.

3. If a vacancy arises on the Committee due to resignation, death etc., of a member, the new member appointed in that vacancy will hold office for the residue of the tenure of 3 years.

TERMS OF REFERENCE

I. To advise the CIIL in the formulation of its plans, programmes and projects;

II. To advise the CIIL in matters relating to teaching of languages, linguistic research, production of teaching material, correspondence courses etc.

III. To review annually the academic programmes made by the CIIL.

IV. To lay down the priorities for various programmes to be undertaken by the CIIL annually;

V. To recommend measures for faculty improvement including training in India and abroad and career advancement.

VI. To advise CIIL in matters relating to promotion and development of tribal and border languages; and

VII. To review the commissioned projects undertaken by the CIIL.

MEETING

The Committee shall meet not less than once a year. Meetings may however, be convened by the Chairman at any time as may be deemed necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Central Institute of Indian Languages Manasgangotri, Mysore, All State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister Office, New Delhi, Ministry of Parliamentary Affairs, Parliament House, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and All Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information. Printed copy may be sent to the Ministry.

P. K. MALHOTRA, Asstt. Educational Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1988